IV 06/20

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

1

Signature.......

Acc Name-HIFZURRAHMAN Acc Code Up14823304

Acc Address-Rudrapur Mobile 9889683206

License No.31 Tehsil& District Rudrapur Deoria

Certificate No.	:	IN-UP10312206119403X
Certificate Issued Date	:	20-Feb-2025 01:04 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14823304/ RUDRAPUR/ UP-DRA
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1482330417602871783404X
Purchased by	:	VIJAY KUMAR YADAV SO HARISHCHANDRA YADAV
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	MAUJA JOT KHAJUHA TAPPA NAGWA TIKAR PARAGANA SILHAT TAHSIL RUDRAPUR DIST DEORIA
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	VIJAY KUMAR YADAV SO HARISHCHANDRA YADAV
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	VIJAY KUMAR YADAV SO HARISHCHANDRA YADAV
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	850 (Eight Hundred And Fifty only)

LOCKED

उपनिबन्धक रुद्रपुर, देवरिया

Bharti

Principal
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

Manager
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

0027566063

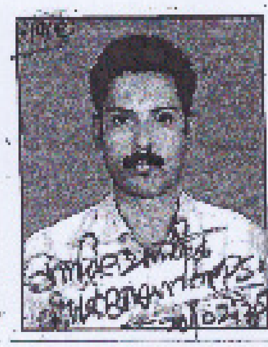

न्यास–पत्र

हम कि विजय कुमार यादव पुत्र श्री हरिश्चन्द्र यादव निवासी ग्राम–अहलादपुर मरकडी, पोस्ट व तहसील–रुद्रपुर, जिला–देवरिया का हूँ।

चूँ हम मुकिर समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करते रहे हैं तथा हम मुकिर के मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ–साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। हम मुकिर की हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख–शान्ति आपस सद्भाव व विश्वास सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो। समाज के साधनहीन व्यक्तियों के जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाये। समाज के सामुदायिक विकास मे परस्पर भाई–चारा, साम्प्रदायिक तालमेल बनाये रखने एवं समाज को शिक्षित करने में लिंग भेद, जाति–पाति, छुआछूत, धर्म और सम्प्रदाय, ऊँच–नीच की भावना कहीं से बाधक न हो। जनहित के उक्त कार्यों को संचालित करने तथा उससे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हम मुकिर द्वारा एक कल्याणकारी न्यास / ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है। हम मुकिर द्वारा अपने उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिए तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावत रुपया 10,000 / –(दस हजार) का

क्रमशः :—–2—

Principal
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

Manager
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल–अचल सम्पत्ति की हम व्यवस्था करते रहेंगे। हम मुकिर ने अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत् एक न्यास–पत्र को भी निष्पादित कर रहे हैं, जिसकी व्यवस्था निम्न रूपेण की जायेगी :–

1– **ट्रस्ट का नाम–** यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का नाम **"ज्योति एजुकेशनल ट्रस्ट जोत खजुहा, पोस्ट व तहसील–रूद्रपुर, जिला–देवरिया"** होगा, जिसे इस न्यास–पत्र में आगे "न्यास" या ट्रस्ट से सम्बोधित किया गया है।

2– **ट्रस्ट का पता–** यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का कार्यालय **ग्राम–जोत खजुहा, पोस्ट व तहसील–रूद्रपुर, जिला–देवरिया** में स्थित होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बावत् इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पते पर ट्रस्ट मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र समस्त भारत होगा।

3– **ट्रस्टी सदस्य बनाने की सहमति –** यह कि हम मुकिर ट्रस्ट मजकूर के संस्थापक ट्रस्टी होंगे तथा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट के स्थापना के समय से ही हम मुकिर संस्थापक ट्रस्टी के रूप में कार्यरत है, जिनका विवरण निम्नलिखित है :–

Bharti
Principal
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

Manager
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

आवेदन सं०: 202500960000844

न्यास पत्र

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 6 वर्ष: 2025

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 850 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 120 योग : 220

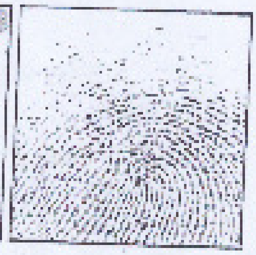

श्री विजय कुमार यादव ,
पुत्र श्री हरिश्चन्द्र यादव
व्यवसाय : अन्य
निवासी: सा० अहलादपुर मरकडी पो० रुद्रपुर जि० देवरिया

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 20/02/2025 एवं 01:54:42 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

गोरखनाथ नाथ त्रिपाठी प्रभारी
उप निबंधक :रुद्रपुर
देवरिया
20/02/2025

मनोज कुमार श्रीवास्तव
निबंधक लिपिक
20/02/2025

प्रिंट करें

1– श्री विजय कुमार यादव पुत्र श्री हरिश्चन्द्र यादव निवासी–ग्राम–अहलादपुर, मरकड़ी, पोस्ट व तहसील–रूद्रपुर, जिला–देवरिया (मुख्य ट्रस्टी / अध्यक्ष)

2– मनोज कुमार यादव पुत्र श्री हरिश्चन्द्र यादव निवासी–ग्राम–अहलादपुर, मरकड़ी, पोस्ट व तहसील–रूद्रपुर, जिला–देवरिया (प्रबन्धक)

3– ज्योति यादव पुत्री विजय कुमार यादव निवासी–ग्राम–अहलादपुर, मरकड़ी, पोस्ट व तहसील–रूद्रपुर, जिला–देवरिया (सचिव)

4– नीतु यादव पत्नी स्व0 अनित कुमार यादव निवासी ग्राम–अहलादपुर, मरकड़ी, पोस्ट व तहसील–रूद्रपुर, जिला–देवरिया (कोषाध्यक्ष)

5– भारती यादव पुत्री मुनेन्द्र यादव निवासी ग्राम–अहलादपुर, मरकड़ी, पोस्ट व तहसील–रूद्रपुर, जिला–देवरिया (सदस्य)

6– सारिका देवी पत्नी विजय कुमार यादव निवासी ग्राम–अहलादपुर, मरकड़ी, पोस्ट व तहसील–रूद्रपुर, जिला–देवरिया (सदस्य)

4– ट्रस्ट का उद्देश्य– यह कि हम मुकिर द्वारा " **ज्योति एजुकेशनल ट्रस्ट जोत खजुहा, पोस्ट व तहसील–रूद्रपुर, जिला–देवरिया**" के नाम से इस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है। उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:–

1– समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना। शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना तथा आम जनता मे चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख शिक्षण व प्रशिक्षण देकर आत्म निर्भर बनाना।

2– नवयुवक, नवयुवतियों व छात्र–छात्राओं को रचनात्मक दिशा देना एवं उनके

Principal
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

Manager
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

क्रमशः :—4—

आवेदन सं०: 202500960000844

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 6 वर्ष: 2025

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री विजय कुमार यादव, पुत्र श्री हरिश्चन्द्र यादव

निवासी: ग्रा० अहलादपुर मरकड़ी पो० रुद्रपुर जि० देवरिया

व्यवसाय: अन्य

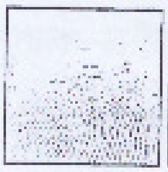
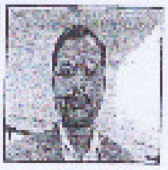

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री नित्यानन्द दुबे , पुत्र श्री रविन्द्र दुबे

निवासी: ग्रा० व पो० रकला मिश्रौलिया त० रुद्रपुर जि० देवरिया

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

श्री विवेकानन्द जायसवाल , पुत्र श्री शम्भू प्रसाद

निवासी: ग्रा० व पो० रुद्रपुर जि० देवरिया

व्यवसाय: कृषि

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

गोरखनाथ मणि त्रिपाठी प्रभारी
उप निबंधक : रुद्रपुर
देवरिया
20/02/2025

मनोज कुमार श्रीवास्तव
निबंधक लिपिक देवरिया
20/02/2025

प्रिंट करें

सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक स्कूल, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालायों एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

3— वर्तमान समय में विज्ञान का जीवन में आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना विज्ञान एवं कप्यूटर तकनीक पर आधारित होने के कारण उससे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणर्थियों को अत्याधुनिक टेक्नालॉजी के माध्यम से उपलब्ध करना।

4— समाज के सामुदायिक विकास, परस्पर भाई—चारा, साम्प्रदायिक तालमेल, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता, सरकारी सम्पत्ति के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा, प्राकृतिक चीजों एवं जीवों की रक्षा, प्रकृति के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय कानून के प्रति वफादारी तथा समाज के प्रति जिम्मेंदारियों के लिए युवकों तथा महिलाओं को जागरूक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना। लिंग भेद, जाति—पाति, छूआ—छूत, धर्म और सम्प्रदाय, ऊँच—नीच की भावना को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण/जागरूकता/सर्वे/लिट्रेचर आदि की व्यवस्था करना।

5— शिक्षा का प्रचार/प्रसार/उन्नयन तथा देश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा/तकनीकी, गैर—तकनीकी शिक्षा/ विधि शिक्षा/ शिक्षा—प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय स्थापित करना। समाज/स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए किड केयर, नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक स्कूलों तथा डिग्री एवं पी0जी0 कालेज की स्थापना करना तथा आमदनी के स्त्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास का निर्माण करना।

Principal
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

Manager
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

6— शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों के लिए अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, पालिटेक्निक, बैंक, पी0सी0एस0, आई0ए0एस0 में प्रवेश की तैयारी के लिए कोचिंग सेण्टरों की व्यवस्था तथा उनसे होने वाले आय से संस्था को पोषण करना।

7— संस्था के प्रत्येक योजनओं में महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना, उनके न मिलने की दशा में सीट पुरूषों द्वारा भरा जा सकता है।

8— अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के लिए स्वरोजगार योजनओं का प्रबन्ध करना तथा उनके लिए शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना।

9— युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेनिंग जैसे सिलाई—कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग, स्क्रीनिंग पेन्टिंग, इलेक्ट्रानिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियो एवं टी0वी0 ट्रेनिंग, टाइपिंग, शार्टहैण्ड, कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, संगीत इसके अतिरिक्त फल संरक्षण कुकिंग/बेकरी एवं मशरूम उद्योग प्रशिक्षण, डाइटिंग प्रशिक्षण आदि जैसे केन्द्रों की स्थापना/व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना। आवश्यकतानुसार उनके लिए प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, छात्रावास, भोजन, वस्त्र, दवा, यातायात, खेल का मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।

10— खाद्य प्रसंस्करण जैसे जैली, मुरब्बा, अचार, केचप तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना। युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण जैसे

Principal
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

Manager
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

हैण्डी क्राफ्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग, कला, निबन्ध, व्याख्यान तथा खेल–कूद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता तथा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना भी संस्था का उद्देश्य है।

11– समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना जैसे–गूंगे, बहरे, अन्धों, अपंग एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों, युवाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग/गरीब बच्चों निराश्रित अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिए विद्यालय, छात्रावास एवं भोजन, वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना आदि। बिना लाभ–हानि के अन्य छात्रावासों का निर्माण एवं उनकी समुचित व्यवस्था करना आदि।

12– वृद्धों के लिए विश्राम केन्द्र अथवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना, जिसमें मनोरंजन, पढ़ने–लिखने एवं उनको खेलने की पूर्ण सुविधा हो। महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हें सरकारी सहायता दिलाना।

13– सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बारात घर, धर्मशाला, सुलभ शौचालय, चिकित्सालय, पुस्तकालय एवं वाचानालय, खेल मैदान, योगा प्रशिक्षण केन्द्र, छात्रावास आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, ड्रामा स्टेज प्रशिक्षण हाल एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।

14– सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्त्व वाले पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण, औषधियों एवं जड़ी–बुटि वाले

Principal
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

Manager
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

पौधों का उत्पादन (मेडिसिनल प्लान्ट) (सौन्दर्य उपयोगी पौधों) (फलोरी कल्चर) सुगन्ध हेतु अन्य पौधों का अन्य आर्थिक महत्त्व वाले पौधों का रोपण करना। सुरक्षा एवं संरक्षण की दृष्टिकोण से विलुप्त पौधों की खेती करना।

15– खादी ग्रामोउद्योग बोर्ड के नियमों का पालन करते हुए उससे सम्बन्धित समस्त जनहित योजनओं का लागू करना तथा स्वतः रोजगार के लिए बोर्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सहायता व अनुदान को स्वतः रोजगार हेतु जन–जन तक पहुंचाना।

16– राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेषकर संवेदनशील एवं अति संवेदनशील राज्यों के लोगों ने राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना।

17– संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भूमि, मकान तथा वाहनों को खरीदना बेचना, उन्हें किराये या लीज पर लेन–देन करना, मार्गेज करना या मकान बनवाना, बेचना आदि।

18– विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकता सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना, जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सके। जैसे–यूनीसेफ, आई0सी0डी0एस0 नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, युवा कल्याण, परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।

19– विभिन्न प्रकार के खेल जैसे–योगा, जिम्नास्टिक, जूडो कराटे, कबड्डी तथा अन्य शहरी एवं पारस्परिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना। इसके लिए संस्था द्वारा सरकारी

Principal
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

Manager
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

क्रमशः :—8—

अनुदान के लिए प्रयास व प्राप्त करना।

20— विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं की सहायता से बाल शिक्षा, बाल स्वास्थ्य एवं टीकाकरण, पेयजल, स्वच्छता, जनसंख्या वृद्धि एवं परिवार कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करना, जिसमें जागरूकता प्रशिक्षण / कैम्प सहायता एवं हैण्ड–पाइप की व्यवस्था करना।

21— परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण, परिवार नियोजन टिकाकरण के क्षेत्र जागरूकता / प्रशिक्षण दवा / किट वितरण एवं उनके प्रयोग की सुविधा के साथ–साथ परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना करना तथा रक्तदान शिविर का आयोजन करना।

22— एड्स, कैन्सर, टी0वी0, कोढ़, मलेरिया, पोलियो, हेपेटाइटिस जैसे रोगों की जानकारी / रोकथाम / नियंत्रण / जागरूकता / उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जन सामान्य के लाभ हेतु डेण्टल कालेज, मेडिकल कालेज व अन्य चिकित्सीय / पैरामेडिकल महाविद्यालय तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

23— उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना, जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है तथा जिनकों विभिन्न विभागों व एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलाया जा रहा है।

24— पंचायती राज एवं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान एवं कानूनी जागरूकता के लिए काउन्सिलिंग केन्द्रों की स्थापना एवं प्रबन्धन करना जिससे कि महिलाओं तथा समाज के गरीब एवं पिछड़े लोगों की कानूनी सहायता की जा सके। गरीब लोगों विशेषकर महिलाओं के

Principal
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

Manager
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

क्रमशः :—9—

कानूनी, सामाजिक, आर्थिक या चिकित्सीय सुविधा अथवा सहायता के लिए उपाय करना।

25— किसी एन0जी0ओ0 द्वारा दिये गये कार्यो को भी न्यास के माध्यम से संचालित किया जा सकेगा।

26— सरकारी अथवा संस्था के किसी भी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सर्वे कार्य, डाटा कलेक्शन तथा जागरूकता तथा प्रशिक्षण हेतु किसी प्रकार का किट, पोस्टर, बैनर, श्रव्य, दृश्य, कैसेट कठपुतली सामग्री, डाक्यूमेण्ट्री एवं नुक्कड़ नाटक किट तैयार करना जो विभिन्न कार्यक्रमों अथवा क्षेत्रों में प्रयुक्त होता हो, जिससे न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति होती हो।

27— किसी अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी तंत्र अथवा एन0जी0ओं0 एसोसिएशन ट्रस्ट को आर्थिक सहायता देना, उनके क्रियाकलापों मे सहयोग देना, जिनके उद्देश्य इन संस्था से मिलते हों।

28— सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगों/संस्थाओं/तन्त्रों/कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायकता लेकर संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करना इसमें विभिन्न प्रकार के डोनेशन ग्राण्ट, गिफ्ट, चल एवं अचल सम्पत्ति सम्मिलित है।

29— विभिन्न पंजीकृत संस्थाओं को संगठित करना तथा उन्हें विभिन्न योजनओं के बारे में जानकारी देना या आर्थिक सहायता पहुंचाना।

30— संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसके शाखा या इसके क्रियाकलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला/प्रदेशों में स्थापित करना या फैलाना।

31— सरकारी, अर्द्धसरकारी, गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण या सहायता प्राप्त करना।

Principal
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

Manager
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

क्रमशः :—10—

5— **मुख्य ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य :—**

(A) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सभी पांच संस्थापक मुख्य ट्रस्टी व प्रबंधक के सर्वसम्मति/बहुमत से निर्णय लेना।

(B) संस्थापक ट्रस्टी की बैठक कर ट्रस्ट का कार्य लेखा—जोखा भविष्य में कार्यो पर विचार कर निर्णय लेना।

(C) संस्थापक ट्रस्टियो मे से 2/3 की उपस्थिति पर ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा।

(D) ट्रस्ट के सम्बन्धी सभी कार्यो में संस्थापक ट्रस्टी व प्रबंधक की सहमति/अनुमति आवश्यक होगी।

(E) संस्थापक ट्रस्टी की बैठक वर्ष में 3 बार अर्थात् 04 माह पर आवश्यक होगी।

(F) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर तथा अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में अप्रैल माह में संस्थापक ट्रस्टी के समक्ष पिछले वित्तीय वर्ष के अन्य आय—व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा और उनके निर्णयोपरान्त आगामी वित्तीय वर्ष का कार्य निर्धारित किया जायेगा।

6— <u>ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य :—</u>

(A) समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।

(B) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न इकाइयों की सुचारू व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिए समितियों एवं उपसमितियों का गठन करना।

Principal
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

Manager
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

(C) ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारू रूप से संचालन के लिए समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उप नियमों को बनाना।

(D) ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु शुल्क, दान, चन्दा इत्यादि प्राप्त करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाईयां गठित करना।

(E) ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनके व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना।

(F) ट्रस्ट की सम्पत्ति की देख–भाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।

(G) ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित सम्पत्तियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने पर अथवा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था मुख्य ट्रस्टी और प्रबन्धक में निहित करना।

(H) ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, शोध केन्द्रों, गौशालाओं व अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिए आचरण व व्यवहार नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्यो

Principal
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

Manager
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

को करना।

(I) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्धसरकारी, गैरसरकारी, विभागों से दान, उपहार, अनुदान, ऋण व अन्य स्त्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खर्च करना।

(J) ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए ट्रस्ट मण्डल द्वारा संकल्पित समस्त कार्यो को करना।

(K) विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली व उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित शर्तो को पूर्ण कर स्नातक व परास्नातक स्तर पर शैक्षिक व व्यवसायिक पाठ्यक्रम का संचालन करना और इस हेतु स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों/इन्स्टीच्यूट की स्थापना करना। इस प्रकार स्थापित शैक्षिक संस्थाओं के सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था हेतु निर्धारित शर्तो का पालन करते हुए प्रशासन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी/कुलपति से स्वीकृति प्राप्त करना।

(L) ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक/तकनीकी/गैर तकनीकी विद्यालयों/महाविद्यालयों व इन्स्टीच्यूट की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी/परिनियमावली द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों को पूर्ण कर समस्त आवश्यक कार्य करना।

7— **<u>ट्रस्ट मण्डल के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :—</u>**

(A) <u>अध्यक्ष :—</u> अध्यक्ष, प्रबन्धक तथा ट्रस्टी के सभी सदस्यों की सहमति से

Principal
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

Manager
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

क्रमशः :—13—

कोई भी निर्णय लेगे। ट्रस्ट की सभी बैठकों हेतु प्रस्ताव निर्धारित कर बैठक बुलाने हेतु सचिव को निर्देशित करना, विचारणीय प्रस्ताव हेतु सहमति देना, सभी बैठकों की अध्यक्षता करना। ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना, तथा ट्रस्ट के आय–व्यय का हिसाब–किताब रिपोर्ट ट्रस्ट मण्डल के समक्ष रखना, ट्रस्ट के विरूद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा अधिवक्ता व मुख्तार/प्रतिनिधि नियुक्त करना, इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा ट्रस्ट के मुख्य प्रबन्धक के रूप में शेष ट्रस्टी के सहयोग से ट्रस्ट के हित मे अन्य समस्त कार्यो को करना, ट्रस्ट के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट के आय–व्यय का रिपोर्ट तैयार करना तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से ट्रस्ट के आय–व्यय का लेखा परीक्षण करना। ट्रस्ट की ओर से उन सभी कार्यवाहियों को करना जिसके लिए ट्रस्ट की बैठक में अधिकृत किया गया हो। प्रबन्धक, अध्यक्ष के परामर्श व सहमति से बैठक बुलाना। प्रस्ताव निश्चित करना। ट्रस्ट के वित्त सम्बन्धी लेखों का सुचारू रूप से रख–रखाव करना। ट्रस्ट मण्डल के समक्ष किसी भी प्रस्ताव पर पक्ष या विपक्ष में समान मत न होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना एक अतिरिक्त निर्णायक मत देना का अधिकार होगा।

(B) <u>प्रबन्धकः–</u> प्रबन्धक, अध्यक्ष तथा ट्रस्टी के सदस्यों की सहमति से कोई भी निर्णय लेगे। अध्यक्ष के कार्यो में सहयोग करना। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करना। ट्रस्ट की बैठकों की कार्यवाही लिखना। ट्रस्ट की धनराशियों को प्राप्त करना व उनकी रसीद जारी करना। तथा दिन–प्रतिदिन के विद्यालय के क्रिया कलापो को सुचारू रूप से चलाना।

Principal
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

Manager
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

(C) **सचिव :–** ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करना, ट्रस्ट की बैठकों को आमंत्रित करना तथा उसकी सूचना ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों को देना। ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना

(D) **कोषाध्यक्ष :–** ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली तथा ट्रस्ट की प्रत्येक धनराशियों का लेखा–जोखा रखना। ट्रस्ट के लिए तथा ट्रस्ट की ओर से व्यय की जाने वाली धनराशियों का भुगतान ट्रस्ट मण्डल में लिए गये निर्णय के अनुसार करना, उसकी रसीद प्राप्त करना, आय–व्यय का विवरण तैयार करना व रखना।

8. **ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था :–**

ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा :–

(A) ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित शिक्षण संस्थाओं के निर्माण, विकास व उनमें योग्य व्यक्तियों के नियुक्ति, निलम्बन, सेवा समाप्ति, सेवा शर्ते, प्रशासन आदि सम्बन्धित विषयों पर अध्यक्ष, प्रबन्धक तथा ट्रस्ट मण्डल के बहुमत द्वारा लिये गये निर्णय बाध्यकारी व प्रभावी होगा।

(B) ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी व प्रबन्धक अपने पद पर अपने जीवनकाल तक बने रहेंगे इनके न रहने पर मुख्य ट्रस्टी व प्रबन्धक का चुनाव होगा व शेष 4 पदाधिकारियों का चुनाव हर 5 (पांच) वर्ष बाद होगा। संस्थापक ट्रस्टी का यह अधिकार होगा कि उनके द्वारा वसीयत के माध्यम से अपने अगले उत्तराधिकारी नामित करने का अधिकार होगा। सदस्यता समाप्ति या कोई व्यक्ति ट्रस्ट में नहीं रहना चाहते तो उनसे लिखित प्रत्यावेदन पर ट्रस्ट मण्डल

Principal
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

Manager
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

विचार कर उसके योगदान आदि पर निर्णय लेकर उसे मुक्त कर सकता है। भविष्य में ट्रस्ट के सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ायी जा सकती है। इस ट्रस्ट के पदाधिकारियों के परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त कोई बाहरी व्यक्ति इस ट्रस्ट का सदस्य नही बन सकता।

(C) संस्थापक ट्रस्टी की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा नामित ट्रस्टी संस्थापक ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा।

(D) ट्रस्ट मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने या ट्रस्ट के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में ट्रस्ट मण्डल द्वारा सामान्य बहुमत से ट्रस्ट से पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति को ट्रस्ट मण्डल के ट्रस्टी के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा। यदि कोई ट्रस्टी उक्त प्रकार से ट्रस्ट से पृथक नहीं किया जाता है तो उसे ट्रस्ट मण्डल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(E) ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों आदि के संचालन के लिए नियुक्त कर्मचारी नियमानुसार सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों आदि के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों को प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

Principal
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

Manager
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

(F) ट्रस्ट मण्डल का कोई भी ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन–देन करता है तो ट्रस्ट का इस लेन–देन से कोई सरोकार नही होगा। बल्कि सम्बन्धित ट्रस्टी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

(G) ट्रस्ट से सम्बन्धित कार्यो के लिए संस्थापक ट्रस्टी या ट्रस्ट मण्डल द्वारा भेजे गये किसी प्रतिनिधि द्वारा किये गये खर्चे व उसके सम्बन्ध में प्रस्तुत व्यय राशि से सम्बन्धित बिलों व बाउचरों को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य ट्रस्टी व प्रबन्धक को होगा।

(H) ट्रस्ट से सम्बन्धित कोई बैठक प्रबन्धक व अध्यक्ष तथा ट्रस्ट के अन्य ट्रस्टीयों के निर्णय के बाद उपरोक्त 6 संस्थापक ट्रस्टी मे से 2/3 की अनुपस्थिति अथवा असहमति पर वैध नहीं होगा, न ट्रस्ट पर प्रभावी होगा।

9. **ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन :–**

(A) ट्रस्ट मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव व कोषाध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व सचिव द्वारा दे दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों को वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक में अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक में अनुपस्थित हो सकता है।

Bharti
Principal
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

Manager
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

(B) वार्षिक बैठक मे ट्रस्ट के वर्ष भर के क्रिया–कलापों पर विचार होगा और आय–व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुत से पारित नियम व निर्णय व ट्रस्ट मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

10. **ट्रस्ट के कोष की व्यवस्था :–**

ट्रस्ट के कोष को सुचारू रूप से रख–रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी डाकघर या राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम अध्यक्ष व प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर से खाता खोला जायेगा, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनाशियों जिसमें ऋण राशियां भी निहित हैं, जमा होगी। ट्रस्ट के नाम खोले गये खाते का संचालन अध्यक्ष व प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

11. **ट्रस्ट से अभिलेख :–**

ट्रस्ट के अभिलेखों को तैयार करने/कराने व रख–रखाव का दायित्व संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का होगा। मुख्य ट्रस्टी द्वारा प्रमुख रूप से ट्रस्ट के लिए सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखे का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

12. **ट्रस्ट के नियमों में संशोधन :–**

संस्थापक ट्रस्टी द्वारा सर्वसम्मति के आधार पर ट्रस्ट की मूल भावना को बिना प्रभावित किये समयानुसार अति आवश्यक होने पर ही उद्देश्य की पूर्ति हेतु संशोधन एवं नियमों में परिवर्तन तथा नियमों में शिथिलता किया जा सकता है।

Bharti
Principal
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

Manager
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

13. <u>ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था :-</u>

(A) यह कि ट्रस्ट मण्डल द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं व बैंकों से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से ट्रस्ट की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिए मुख्य ट्रस्टी व प्रबन्धक अधिकृत होंगे।

(B) यह कि मुख्य ट्रस्टी, ट्रस्ट की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन क्रय कर सकेंगे या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। मुख्य ट्रस्टी और प्रबन्धक, अध्यक्ष व ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीयों के बहुमत से लिये गये निर्णय के आधार पर ट्रस्ट की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को किराये पर दे सकेगा या बेच सकेगा।

(C) यह कि ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने या दुरूपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार ट्रस्ट मण्डल को प्राप्त होगा। ट्रस्ट व उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध मुख्य ट्रस्टी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील ट्रस्ट मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।

(D) ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में ट्रस्ट मण्डल का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा, परन्तु यदि किसी परिस्थितिवश ऐसा नहीं हो सका तो विवाद के लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसके

Principal
L.B.R. Public School
Jol Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

Manager
L.B.R. Public School
Jol Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

सम्पत्ति की व्यवस्था ट्रस्ट में निहित रहेगी।

(E) ट्रस्ट के आय–व्यय व लेखा परीक्षण हेतु मुख्य ट्रस्टी द्वारा लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी।

(F) ट्रस्ट के आय–व्यय के विरूद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा, जिसकी पैरवी ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट के सचिव द्वारा अथवा ट्रस्ट के सचिव की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत ट्रस्ट सचिव द्वारा की जायेगी।

(G) ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्तो एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी ट्रस्ट मण्डल के अधीन होगा। ट्रस्ट मण्डल बहुमत से स्वयं उन कार्यो को करेगा अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस हेतु नियुक्त करेगा। इसके अतिरिक्त ट्रस्टी मण्डल अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगा।

(H) ट्रस्ट मण्डल, ट्रस्ट के लिए वह सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के हितों के लिए आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।

(I) ट्रस्ट की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिए ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बावत् यह शर्तें लागू होंगी।

15. <u>ट्रस्ट के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही :–</u>

(i) ट्रस्ट के विघटन एंव विघटित सम्पति के निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन

Principal
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

Manager
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत की जायेगी।

(ii) ट्रस्ट का किसी भी कारण विघटन होता है तो उस दशा में ट्रस्ट या संस्था की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर स्वामित्व मुख्य ट्रस्टी व प्रबन्धक का होगा किन्तु संस्था के नाम किसी सम्पत्ति के स्वामित्व का मुख्य ट्रस्टी व प्रबन्धक के बीच कोई अवरोध उत्पन्न हो जाये तो उस दशा में ट्रस्ट मण्डल के प्रत्येक मुख्य ट्रस्टी व प्रबन्धक तथा ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीयो द्वारा लिये गये निर्णय मान्य होगा।

घोषणा

मै विजय कुमार यादव संस्थापक ट्रस्टी/प्रधान प्रबन्धक सेवा न्यास, प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त न्यास का यह सही न्यास विलेख है।

हस्ताक्षर मुकिर

(विजय कुमार यादव)
मो.नं. 9974004400

हस्ताक्षर गवाहान :–

1– नितेश द्विवेदी पुत्र श्री रवीन्द्र दुबे ग्रा.पो. रुकना मिश्रौलिया तहसील रुद्रपुर जि. देवरिया मो.नं. 9050977992

2– विवेकानन्द जायसवाल पुत्र श्री शम्भू प्रसाद जायसवाल ग्रा+पो. -रुद्रपुर जिला -देवरिया मो. 9838042047

हस्ताक्षर प्रारूपकर्ता
श्रीकृष्ण निगम एडवोकेट
तहसील रुद्रपुर, जिला देवरिया
दिनांक 20/12/2025

Principal
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

Manager
L.B.R. Public School
Jot Khajuha, Pidra Road
Rudrapur, Deoria

आवेदन सं०: 202500960000844

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 19 के पृष्ठ 389 से 430 तक क्रमांक 6 पर दिनाँक 20/02/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

गोरखनाथ पति त्रिपाठी प्रभारी
उप निबंधक : रुद्रपुर
देवरिया
20/02/2025

प्रिंट करें